पंचदश बिहार विधान सभा

अष्टम् सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचनायें बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-12.03.2013 के लिए अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
1.	श्री अब्दुल गफूर, स०वि०स०	"सुपौल जिला अन्तर्गत किशनपुर प्रखंड में बाढ़ के समय सरकारी आदेश से बहाल नाव एवं नाविक का भाड़ा एवं मजदूरी वर्ष 1987 से 1995 तक का नहीं मिलने से संबंधित माननीय उच्च न्यायालय, पटना के सी.डब्लू.जे.सी. नं० 18799 में दिनांक-08.11.2011 को पारित आदेश के आलोक में नाव मालिकों का नाव भाड़ा एवं नाविकों की दैनिक मजदूरी का भुगतान करने हेतु मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ ।"	आपदा प्रबंधन

1	2	3	4
2.	डॉ० (श्रीमती) उषा विद्यार्थी, स०वि०स० श्रीमती गुड्डी देवी, स०वि०स० श्रीमती उषा सिन्हा, स०वि०स०	"पटना जिला के पालीगंज प्रखंडान्तर्गत इमामगंज पंचायत में दिनांक- 06.11.2012 को वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन एवं विकलांग पेंशन हेतु शिविर लगाई गयी थी । जिससे संबंधित फार्म उस पंचायत के पंचायत सचिव द्वारा गबन करके उसमें दूसरा फार्म लगाकर जिसपर प्रखंड विकास पदाधिकारी का जाली हस्ताक्षर करके अनुमंडल कार्यालय में दाखिल किया गया । इसमें अनुमंडल कार्यालय के कर्मचारी एवं पदाधिकारी की भी मिलीभगत है । इसकी सूचना प्रखंड विकास पदाधिकारी के ज्ञापांक-2893, दिनांक-04.12.12 द्वारा थाना को दे दी गयी है, परन्तु इसकी जांच अभी तक नहीं हो सकी है । अतः जालसाजी की उक्त घटना की जांच कराकर कानूनी कार्रवाई हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट करते हैं ।"	समाज कल्याण / गृह (आरक्षी)

फूल झा
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-16/13- 250 / वि०स०, पटना, दिनांक- 11 मार्च, 2013 ई० ।

प्रति :- बिहार विधान सभा के सदस्यगण / मुख्य मंत्री / मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप्त सचिव / सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना / संसदीय कार्य विभाग / आपदा प्रबंधन विभाग / समाज कल्याण विभाग तथा गृह (आरक्षी) विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

11/3/13
(राजकुमार रजक)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-16/13- 250 / वि०स०, पटना, दिनांक- 11 मार्च, 2013 ई० ।

प्रति :- अवर सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय / अपर आप्त सचिव, उपाध्यक्षीय कार्यालय / अवर सचिव, सचिवीय कार्यालय / निजी सहायक, संयुक्त सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रभारी सचिव एवं प्रभारी संयुक्त सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

11/3/13
(राजकुमार रजक)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।